



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# LABOUR DEPARTMENT HARYANA

## श्रम विभाग हरियाणा

Off.: 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17-B, Chandigarh-16001 (India) Tel: 91(0172)2701337 Fax: 91(0172)2701266  
 ऑफिस: 30 बेज बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष: 91(0172)2701337 फैक्स: 91(0172)2701266

उत्पन्नता एवं सामाजिक न्याय  
 Productivity with Social Justice  
 LABOUR DEPARTMENT HARYANA  
 श्रम विभाग, हरियाणा  
 शांति, सामंजस्य एवं सुरक्षा  
 Peace, Harmony and Safety

### कार्यालय आदेश

श्रीमति सुनील कुमारी, लिपिका कार्यालय अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक को सरकार द्वारा जारी हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2016 अनुसार दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक 90 दिन की (C.C.L) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश से लौटने पर कर्मचारिका उसी पद तथा स्थान पर कार्य करेगी जहां से वह चाईल्ड केयर लीव पर गई थी ।

दिनांक: 01.01.2021

पंकज अग्रवाल,  
 श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक: स्था०/०४/2019/152-54 - - दिनांक: 04-01-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक ।
- 2 सम्बंधित कर्मचारिका ।
- 3 कर्मचारिका की नीजि फाईल

*P. K. Aggarwal*  
 अधीक्षक (स्था०)  
 कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।